न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 74/18 **निर्णय दिनांकः— 21.01.2019**

1. तकुराम पुत्र जालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट

2. अपील संख्या 75/18

1. सुरजाराम पुत्र ताजू उर्फ ताजूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट

3. अपील संख्याः 76/18

1. मखु
2. कोजाराम
3. शिवलाल
4. शंकरलाल

पिसरान पूर्ण जाति मेघवाल निवासी ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट

4. अपील संख्याः 77/18

1. महेशा पुत्र जोरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाचूं तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16—5—2018
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः
1. श्री सुनील चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनिया,, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—05—2018 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त चारों पत्रावलियों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण चारों पत्रावलियों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि ग्राम पाचूं तहसील नोखा में स्थित है

जिसे महज पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दी गयी। अपीलांटस ने कभी भी अपनी खातेदारी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसमें किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177(4) के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जो बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 175 व 177 का प्रस्तुत किया जबकि दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वाद की प्रक्रिया के विरुद्व पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। जबकि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई ईंट भट्टा लगाया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही विधि के विरूद्व की गई है।

प्रकरण में पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जो रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट कब तैयार की गई व किसकी उपस्थिति में तैयार की गई है इसका कहीं उल्लेख नहीं है ना ही उक्त रिपोर्ट पर किसी गवाह आदि के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपने आप में संदेहास्पद है। अदालत मातहत द्वारा भी आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के बाबत्

संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाते हुए वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते। अदालत मातहत द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट को ही सही मानते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि सिवाय चक धोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं जो स्पष्ट रूप से विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत व अपीलांट के जायज हक व हकों पर कुठाराधात है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2004(4) एससी पेज 509, आरएलडब्ल्यू 2000 पार्ट I एससी पेज 125, आरएलडब्ल्यू 1997 पार्ट I पेज 660, आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 619 व डीएनजे (राज.) 1996 पेज 630 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। अपीलांट ने खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण किया है जो अवैधानिक कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स द्वारा अपनी कृषि खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप जितनी भूमि पर अवैध भट्टे का निमार्ण किया गया है, को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक धोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर मौके देखने पर पाया गया कि अपीलांट्स द्वारा अपनी कृषि भूमि अकृषि कार्य अर्थात अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। तथा उक्त ईंट भट्टा वर्तमान में चालू स्थिति में पाया गया। इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

(3) प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट्स यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20—03—2018 को अपीलांट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शें के अनुसार जितनी भूमि पर अवैध ईंट भट्टे का निमार्ण किया गया है उसकी हद तक अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करते हुए उक्त भूमि को सिवाय चक धोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

(4) प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अपीलांट्स ने अपने रकबे पर अवैध ईंट निमार्ण किया है जबकि अपीलांट का कथन है कि अवैध ईंट भट्टे का निमार्ण उनके द्वारा नहीं किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तो साबित है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध ईंट भट्टे का निर्माण किया है। जिससे भूमि किस्म में परिवर्तन कृषि से अकृषि कार्य में हुआ है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

(5) इसप्रकार प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये ही ईंट भट्टे का निर्माण

किया गया है। ऐसी स्थिति में कानूनी अपीलांट्स की किसी तरह की मदद नहीं कर सकता है। प्रकरण में चूंकि यह तथ्य भली—भांति साबित है कि अपीलांट्स द्वारा कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलांट्स की अपीलों को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित नहीं पाते है।

अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट्स द्वारा जितनी भूमि पर अवैध ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है उसकी हद तक अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को सिवाय चक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत के उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं पाते है। अतः अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(6) प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजीरों का प्रश्न है, उक्त नजीरें मामलें पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि प्रकरण में यह निर्विवाद व स्वीकार योग्य है कि अपीलांट्स द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुॅचाते हुए कृषि भूमि अकृषि कार्य करते हुए अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 16—05—2018 यथावत बहाल रखे जाते है। निर्णय की एक—एक प्रति सभी पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर